निग0/रीवा/2018/0485

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

63

छोटेलाल कोरी तनय रामगोपाल कोरी उम्र–55 वर्ष, निवासी ग्राम–जोरौट, तहसील–मनगवां, जिला–रीवा (म0प्र0)

.... आवेदक

विरूद्ध

लालमणि कोरी तनय दद्दी कोरी उम्र–26 वर्ष, निवासी ग्राम–जोरौट, तहसील–मनगवां, जिला–रीवा म0प्र0

.... अनावेदक

अधि0श्री एस.एन. शुक्ला द्वारा पेश 17-01-18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल मनगवां, तहसील–मनगवां, जिला–रीवा (म0प्र0) प्रकरण कमांक–19 ए/12/2016–17 आदेश दिनांक 15.06. 2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त विवरणः–

यह कि भूमि नम्बर–973/5 एवं 1006/2 स्थित ग्राम–जोरौट, तहसील–मनगवां, जिला–रीवा म0प्र0 की भूमियां हैं। पूरे रवके में पुस्तैनी मकान बना हुआ है, जो संयुक्त खाते में दर्ज है। सभी हिस्सेदारों का मकान में हिस्सा प्राप्त हुआ है, उसमें निवास कर रहे हैं। अनावेदक द्वारा हल्का पटवारी से मिलकर बिना बटवारा कराये नामान्तरण करा लिया, फिर चोरी से राजस्व निरीक्षक से मिलकर बिना मौके पर जाये सीमांकन करवा लिया, जिसकी जानकारी आवेदक को

छोटेलाल कोरी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी / रीवा / भू0रा0 / 2018 / 485

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/7/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त मनगवॉ तहसील मनगवॉ जिला रीवा के प्र0क्र0 19 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15–6–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 973/5 एंव 1006/2 के सीमांकन की मांग करने पर राजस्व निरीक्षक वृत्त मनगवॉ ने प्रकरण क्रमांक 19 अ–12/2016–17 पॅजीबद्व करके सीमांकन कार्यवाही की है। हलका पटवारी ने सीमांकन की सूचना मेढ़िया कास्तकारों को देते हुये दिनांक 1–6–17 को सीमांकन किया है। सीमांकन पर आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 15–6–17 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है, जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सीमांकन के पूर्व कोई सूचना जारी नहीं	

की गई। मौके पर सीमांकन नहीं किया गया, वल्कि अनावेदक के घर पर बैठकर पंचनामा बनाकर कागजात तैयार किये गये है और आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है। इस प्रकार के सीमांकन को अंतिम कर देना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परलिक्षित है कि भूमि सर्वे कमांक 973/5 एंव 1006/2 स्थित ग्राम जौरोह का अनावेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण उसके स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का सीमांकन ई0टी0एस0एम0 से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त मनगवॉ तहसील मनगवॉ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 19 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15–6–17 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी अमान्य की जाती है।

सदस्य